

7-21-11

जा.सि.
07.4.2011

संख्या : 1016 / 1-10-2011-14(63) / 2010 सी.सि.

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

Q.37

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़ / बहराइच / बलरामपुर / एटा / ईटावा / फतेहपुर / गाजीपुर / गोण्डा / गोरखपुर / हमीरपुर
/ हरदोई / जालौन / झांसी / कानपुरनगर / कौशाम्बी / महाराजगंज / रमाबाई / सिद्धार्थनगर /
सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 07 अप्रैल, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़ एवं दैवी आपदा राहत निधि से विगत वर्षों में टी0आर0 27 के अन्तर्गत व्यय के समायोजन हेतु घनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवीय आपदा राहत निधि से विगत वर्षों में टी0आर0 27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू० 46,19,34,896/- (छियालिस करोड उन्नीस लाख चौतिस हजार आठ सौ छियानबे मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क० स० | जनपद | संदर्भ | टी0आर0-27 के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण | | शासनादेश सं० 1003/1-10-2011-14(63)/2010 द्वारा आवंटित धनराशि (लाख रू०) | टी0आर0 27 के समायोजन हेतु अवशेष आवंटित धनराशि (लाख रू० में) |
|----------|----------|---|---|------------------|--|---|
| | | | वित्तीय वर्ष | धनराशि (लाख रू०) | | |
| 1 | अलीगढ़ | 878 / दै०आ०लि०-2010-11 दिनांक 22 मार्च, 2011 | 2004-05 | 2.50 | | 2.50 |
| 2 | बहराइच | 1154 / आपदा-तेरह-समायोजन / 11 दिनांक 16 मार्च, 2011 | 2007-08 | 723.38 | 70.00 | 500.00 |
| 3 | बलरामपुर | 1524 / सी०आर०ए०(दै०आ०-टी०आर०-27-समायोजन) / 11 दिनांक 30 मार्च, 2011 | 2004-05 | 1.58311 | 150.00 | 500.00 |
| | | | 2007-08 | 1498.40281 | | |

| क0 स0 | जनपद | संदर्भ | टी0आर0-27 के अंतर्गत व्यय की गई घनराशि का विवरण | | शासनादेश सं0 1003/ 1-10-2011-1 4(63)/2010 द्वारा आवंटित घनराशि (लाख रु0) | टी0आर0 27 के समायोजन हेतु अवशेष आवंटित घनराशि (लाख रु0 में) |
|----------|---------------|---|---|------------|--|--|
| | | | वित्तीय वर्ष | घनराशि | | |
| 4 | एटा | 3821/वी0पी0ए0 द्वितीय/कोष/एटा दिनांक 26 मार्च, 2011 | 2004-05 | 9.29372 | | 25.30142 |
| | | | 2007-08 | 16.00770 | | |
| 5 | इटावा | 84/सी0आर0ए0-दौ0आ 0-टी0आर07-07-08 दिनांक 17 मार्च, 2011 | 2007-08 | 5.00 | | 5.00 |
| 6 | फतेहपुर | 1284/तेरह-विविध/20 10-11/सी0आर0ए0 दिनांक 25 मार्च, 2011 | 1992-93 | 4.30 | | 11.11517 |
| | | | 1997-98 | 4.81517 | | |
| | | | 2007-08 | 2.00 | | |
| 7 | गाजीपुर | 1119/13-आपदा/201 0-11 दिनांक 28 मार्च, 2011 | 2007-08 | 12.09350 | | 12.09350 |
| 8 | गोण्डा | 453/दौवी आपदा/(टी0आर0-27 समायोजन)/2005 दिनांक 31.03.2011 | 2004-05 | 37.94 | | 37.94 |
| 9 | गोरखपुर | 125/आपदा-2011 दिनांक 26 मार्च, 2011 | 2007-08 | 1583.40724 | | 500.00 |
| 10 | हमीरपुर | 1711/सी0आर0ए0-13 -दौ0आ0/2010-11 दिनांक 18 मार्च, 2011 | 2007-08 | 471.54 | 50.00 | 421.54 |
| 11 | हरदोई | 408/सी0आर0ए0-दौ0आ 10-बजट/11 दिनांक 25 मार्च, 2011 | 2007-08 | 8.82852 | | 8.82852 |
| 12 | जालौन | 140/3-सी0आर0ए0 दिनांक 18 मार्च, 2011 | 2003-04 | 10.50 | 200.00 | 500.00 |
| | | | 2007-08 | 2946.14190 | | |
| | | | 2008-09 | 0.25000 | | |
| 13 | झांसी | 1827/मु0रा0आ0-03(1 3)/दौ0आ0/2010-11 दिनांक 26 मार्च, 2011 | 2007-08 | 2176.30658 | 230.00 | 500.00 |
| 14 | कानपुर नगर | 458/सी0आर0ए0(दौ0आ 0)/11 दिनांक 17 मार्च, 2011 | 2008-09 | 326.02785 | | 326.02785 |

| क्र० स० | जनपद | संदर्भ | टी०आर०-27 के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण | | शासनादेश सं० 1003/ 1-10-2011-1 4(63)/2010 द्वारा आवंटित धनराशि (लाख रु०) | टी०आर० 27 के समायोजन हेतु अवशेष आवंटित धनराशि (लाख रु० में) |
|------------|------------------|--|---|--------------------|--|--|
| | | | वित्तीय वर्ष | वित्तीय वर्ष | | |
| 15 | कौशाम्बी | 347/दैवी आपदा-कौ० दिनांक 25 मार्च, 2011 | 2007-08 | 2.77250 | | 2.77250 |
| 16 | महाराजगंज | 717/आपदा सहायक/2010-11 दिनांक 29 मार्च, 2011 | 2007-08 | 2103.51 | | 500.00 |
| 17 | रमाबाई नगर | 482/सी०आर०ए०-दै०अ 10/2010-11 दिनांक 31 मार्च, 2011 | 2007-08 | 4.50 | | 4.50 |
| 18 | सिद्धार्थ नगर | 468/रा०लि०/2010-1 1 दिनांक 18 मार्च, 2011 | 2007-08 | 291.73 | 30.00 | 261.73 |
| 19 | सोनमद्र | 1738/मु०रा०ले०-दैवीय आपदा -2007-08 दिनांक 03 मार्च, 2011 | 2007-08 | 1967.18666 | | 500.00 |
| | योग | | | 14210.01726 | 730.00 | 4619.34896 |

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय घालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 व 4 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

5. टी०आर०-27 में आवंटित धनराशि का आहरण कर इसी वित्तीय वर्ष में समायोजन सुनिश्चित कर उक्त का पुस्तांकन महालेखाकार कार्यालय में कराया जाये। टी०आर०-27 में आहरण करते समय शासनादेश संख्या-1026/1-10-2011-रा-10-33(98)/11 दिनांक 25 मार्च, 2011 में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाये।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-10/6/1-10-2011-14(63)/2011, तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- संबधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 6- संबधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव, राजस्व